<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारीः—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103003042012</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-253/12</u> संस्थापित दिनांक-13.07.12

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी	जिला अशोकनगर।
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—जयप्रकाश पुत्र	मांगीलाल सुमन आयु 35 वर्ष निवासी
पंचमनगर कॉलोनी, चंदेरी जिला अशोकनगर म0प्र0	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u>ः— (आज दिनांक 16.11.2017 को घोषित)

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 341,294,323,506 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

- 03— प्रकरण में उल्लेखनीय है कि आरोपी का फरियादी से राजीनामा हो गया है जिसके फलस्वरूप आरोपी को भादवि की धारा 294,325/34,504 के आरोप से दोषमुक्त किया जा चुका है। यह निर्णय भादवि की धारा 190 के संबंध में पारित किया जा रहा है।
- 04— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले के फरियादी रमांकांत चौवे ने दिनांक 10.05.12 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि दिनांक 10.05.12 को मातामढ मौहल्ला चंदेरी में आरोपी ने उसके साथ गाली गलोच की तथा हाथ से मारपीट की जिससे उसके दांत टूट गये और साथ ही रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 168/12 के अंतर्गत भादवि की धारा 341,294,323,506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
- 05— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294,325,190 के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया।
- 06- प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--
 - 1. क्या आरोपी ने दिनांक 10.05.12 को समय सुबह 8:30 बजे मातामढ मोहल्ला चंदेरी लोकस्थल में आपने उसे लोकसेवक से संरक्षा हेतु रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी ?

<u>—:: सकारण निष्कर्ष ::—</u>

07— अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 नाथूराम, अ.सा.2 राकेशसिंह, अ.सा.3 छोटेलाल, अ.सा.4 कृष्णप्रतापसिंह की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर

प्रस्तुत की गई है।

- 08— अभियोजन साक्षी 01 नाथूराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उक्त साक्षी के अनुसार उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। अ.सा. 3 छोटेलाल एवं अ.सा.4 कृष्णप्रतापसिंह ने भी अपने कथन में बताया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उक्त सभी साक्षीगण ने इस बात से इंकार किया है कि आरोपी ने उनके समक्ष फरियादी को गालियां दी थी तथा इस बात से भी इंकार किया है कि आरोपी ने फरियादी के साथ मारपीट की तथा इस बात से भी इंकार किया है कि उन्होंने पुलिस कथन दिया है। अ.सा.2 राकेशसिंह द्वारा प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र0पी01 लेखवद्ध करना बताया है।
- 09— अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है उसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि घटना के सभी चक्षुदर्शी साक्षी पक्षद्रोही हो गये है। एक भी साक्षी ने अभियोजन की कहानी का कोई सर्मथन नहीं किया है। इस प्रकार अभिलेख पर आई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी को रिपोर्ट करने से रोकने के लिए जान से मारने की धमकी दी गई थी।
- 10— उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में यह निष्कर्ष दिया जाता है कि अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है। परिणामतः आरोपी को भादिव की धारा 190 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- 11— आरोपी के जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।
- 12— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो दांत मूल्यहीन होने से नष्ट किये जावे, अपील होने की दशा मे माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जावे।

13— आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)